राग्रावि पं रासं
NIRDPR
www.nirdpr.org.in

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रगति
समाचार पत्रिका



सोहापुर से पंजाब तक: पलायन, पराली दहन और मशरूम की खेती कैसे बदल सकते हैं ग्रामीण भारत की कहानी

अंक 374 • जुलाई 2026

इस अंक में...

आवरण कथा — सोहापुर से पंजाब तक: पलायन, पराली दहन और मशरूम की खेती कैसे बदल सकते हैं ग्रामीण भारत की कहानी - 4

1. एनआईआरडीपीआर में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए ग्रामीण शासन पर अभिमुखीकरण - 9

2. श्रीलंका के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय शासन पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - 11

3. टीजीआईएलपी के अंतर्गत सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों के लिए पशुधन प्रबंधन पर क्षमता निर्माण - 12

4. लखपति दीदी पहल के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण - 13

5. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में व्यवसाय विविधीकरण और सर्वोत्तम पद्धतियों पर प्रशिक्षण - 14

6. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के नवनियुक्त कार्मिकों का प्रवेश प्रशिक्षण - 15

7. समृद्ध विकासखंडों के निर्माण के लिए खंड विकास अधिकारियों का नेतृत्व प्रशिक्षण - 16

8. एचपीएसआईआरडी, शिमला में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के अभिसरण पर प्रशिक्षण - 17

9. एनसीवीईटी ने एनआईआरडीपीआर को प्रमाणन निकाय (द्वैध) के रूप में मान्यता दी - 19

10. एनआईआरडीपीआर में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत डिजिटल वित्त 2.0 पर कार्यसमूह की चर्चा - 20

11. मालदीव गणराज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम - 21

12. संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) — सातवाँ बैच - 23

13. ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा तैयारी के लिए परामर्श कार्यशाला - 24

15. पंचायती राज प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की सहभागितापूर्ण पद्धतियों पर राष्ट्रीय पुस्तिका की सत्यापन कार्यशाला - 25

16. गरीबीमुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की दो दिवसीय सत्यापन कार्यशाला - 26

17. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए फेलोशिप आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर कार्यशाला - 27

18. एनआरएलएम प्रकरण अध्ययन शृंखला — उद्यमों के लिए सहयोग तंत्र का निर्माण: विजयनगरम में डीएवाई-एनआरएलएम के क्षेत्रीय अध्ययन से मिली सीख - 28

19. ग्रामीण कौशल और उद्यमिता का नया मॉडल विकसित करने के लिए एनआईआरडीपीआर और विश्व कौशल केंद्र का सहयोग - 32

सोहापुर से पंजाब तक: पलायन, पराली दहन और मशरूम की खेती कैसे बदल सकते हैं ग्रामीण भारत की कहानी

क्या ग्रामीण पलायन, फसल अवशेष जलाने और आजीविका की असुरक्षा का समाधान कृषि अपशिष्ट को अवसर में बदलने में छिपा है? यह लेख बताता है कि धान की पराली पर मशरूम की खेती कैसे पलायन को उद्यमिता, टिकाऊ आजीविका और ग्रामीण विकास का माध्यम बना सकती है।

श्री तुषार कौशिक
पीजीडीएम-आरएम, एनआईआरडीपीआर
tusharkaushik2024@gmail.com





ओडिशा के गंजाम जिले के सोहापुर गाँव में रोजमर्रा का जीवन खेती पर टिका है। मानसून में खेत हरे हो जाते हैं, परिवार मिलकर खेती करते हैं और कटाई का मौसम कुछ समय के लिए आर्थिक राहत देता है। पर यह स्थिरता अस्थायी है।

अधिकांश किसान छोटी जोतों पर धान उगाते हैं और लगभग पूरी तरह वर्षा पर निर्भर हैं। सिंचाई की सुविधाएँ सीमित हैं और फसल विविधीकरण बहुत कम है। कटाई के बाद रोजगार के अवसर तेजी से घट जाते हैं।

कटाई के बाद के महीनों को गाँव के लोग 'सूना मौसम' कहते हैं। इस दौरान आमदनी रुक जाती है, लेकिन घर की जरूरतें बनी रहती हैं।



बचत जल्द खत्म हो जाती है। खेती की आय से साल भर परिवार चलाना मुश्किल है। ऐसे में पलायन अनिवार्य हो जाता है।

पलायन: हर साल उत्तर की ओर सफर

हर साल खरीफ की कटाई के बाद सोहापुर के युवकों के समूह काम की तलाश में लगभग 1,500 किलोमीटर दूर पंजाब जाते हैं। यह यात्रा देश में व्यापक स्तर पर होने वाले मौसमी पलायन का उदाहरण है। अनुमान है कि ओडिशा में हर साल 15 से 20 लाख लोग मौसमी पलायन करते हैं। इनमें कई गंजाम जैसे जिलों से हैं, जहाँ पलायन ग्रामीण आजीविका का अभिन्न अंग बन गया है। इन परिवारों के लिए यह आय का



महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इससे वे खेती का कर्ज चुका पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च उठा पाते हैं तथा खेती के मंद मौसम में गुजारा कर पाते हैं।

फिर भी अधिकतर प्रवासियों को खेतों, निर्माण स्थलों या ईंट भट्ठों पर कम वेतन वाला कठिन शारीरिक काम मिलता है। रोजगार अक्सर मौसमी और अनिश्चित होता है। कौशल सीखने या लंबे समय में आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर सीमित रहते हैं। इस तरह पलायन से रोजी-रोटी चलती है, लेकिन जीवन में बड़ा बदलाव कम ही आता है।

पंजाब: कृषि की सफलता और पर्यावरण संकट

पंजाब पहुँचकर श्रमिक भारत की सबसे उत्पादक कृषि प्रणालियों में से एक में काम करते हैं। देश की खाद्य सुरक्षा को सहारा देने वाले धान-गेहूँ फसल चक्र में यहाँ मशीनों से कटाई होती है। इस दक्षता का एक अनपेक्षित परिणाम है। कटाई के बाद खेतों में भारी मात्रा में धान की पराली बचती है। किसानों को गेहूँ की बुवाई के लिए खेत जल्दी तैयार करने होते हैं, इसलिए अवशेष प्रबंधन के लिए बहुत कम समय मिलता है। पंजाब में हर साल लगभग 1.8 से 2 करोड़ टन धान की पराली पैदा होती है। उसे हटाने का खर्च अधिक है और उसके लिए बाजार सीमित है, इसलिए जलाना सबसे तेज उपाय बन जाता है। इसके पीछे आर्थिक मजबूरी है। सात वर्षों के चुनिंदा आँकड़े समस्या का पैमाना दिखाते हैं।

वर्ष	उत्पन्न पराली	जलाई गई पराली	आग की घटनाएँ
2016	220 लाख टन	75–80%	लगभग 60,000
2018	230 लाख टन	70–75%	लगभग 50,000
2020	240 लाख टन	65–70%	लगभग 45,000
2023	260 लाख टन	55–60%	33,719

पंजाब के खेतों से दिल्ली की धुंध तक

अक्टूबर और नवंबर में हवाएँ उत्तर भारत में प्रदूषक फैलाती हैं, जिससे दिल्ली की वार्षिक धुंध की समस्या बढ़ जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार फसल अवशेष दहन का योगदान दिल्ली के पीएम□.□ प्रदूषण में 14 से 35 प्रतिशत रहता है और चरम दिनों में 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। अस्पतालों में श्वसन रोगों के मामले बढ़ते हैं, दृश्यता घटती है और आर्थिक गतिविधियाँ धीमी पड़ती हैं। खेत में लिया गया एक फैसला राष्ट्रीय पर्यावरण आपातस्थिति का रूप ले लेता है।



जलते खेतों से उठने वाला धुआँ पंजाब से बहुत दूर तक फैलता है।



मशरूम की खेती: कृषि अपशिष्ट से आजीविका





धान की पराली पर मशरूम की खेती दोनों समस्याओं को एक साथ हल करने का रास्ता दिखाती है। प्रवासी श्रमिक पराली को जलाने की जगह उसे उपयोगी संसाधन बनाकर टिकाऊ आजीविका हासिल कर सकते हैं। यह तरीका व्यावहारिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। पराली ही मुख्य कच्चा माल है, बुनियादी ढाँचे की जरूरत कम है और उत्पादन चक्र केवल 20 से 25 दिन का है। इस प्रक्रिया में श्रम की भी काफी जरूरत होती है।

आर्थिक अनुमानों के अनुसार पाँच प्रवासी श्रमिकों का समूह पाँच टन पराली से एक उत्पादन चक्र में लगभग ₹2.95 लाख की शुद्ध आय कमा सकता है। यह एक महीने में प्रति श्रमिक करीब ₹59,000 है। इस प्रकार फसल अवशेष दहन कम करने के साथ ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों के लिए सम्मानजनक रोजगार और आय के अवसर बन सकते हैं। मशरूम की खेती से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में उन्हें काम मिल सकता है।

- **पराली का संग्रह** — कटे हुए खेतों से धान के अवशेष इकट्ठे किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुखाकर अस्थायी शेड तक ले जाया जाता है, जहाँ खेती के लिए उनकी छँटाई करके गट्ठर बनाए जाते हैं।
- **खेती** — पराली भिगोकर उसकी परतें बनाई जाती हैं। उनमें मशरूम का बीज (स्पॉन) डाला जाता है और वृद्धि के लिए शेड में नियंत्रित नमी और तापमान में व्यवस्थित किया जाता है।
- **तुड़ाई** — 20 से 25 दिनों में परिपक्व मशरूम हाथ से सावधानीपूर्वक कई बार तोड़े जाते हैं, ताकि गुणवत्ता, स्वच्छता और निरंतर उपज बनी रहे।
- **पैकिंग** — ताजे मशरूम साफ किए जाते हैं। उनकी श्रेणी तय करके उन्हें तौला जाता है और ताजगी बनाए रखने के लिए हवादार, नमी से सुरक्षित डिब्बों में पैक किया जाता है।
- **विपणन** — समूह मिलकर पैक किए गए मशरूम सीधे स्थानीय बाजारों, थोक खरीदारों, खुदरा विक्रेताओं या खाद्य प्रतिष्ठानों तक पहुँचाते हैं। इससे समय पर बिक्री और उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

इस तरह मजदूरी के लिए किया गया पलायन उद्यमिता का रास्ता बनता है।

जब प्रवासी घर लौटते हैं

असली बदलाव तब शुरू होता है जब श्रमिक सोहापुर लौटते हैं। वे अपने साथ

कमाई के साथ उपयोगी कौशल और व्यावहारिक अनुभव भी लाते हैं। पंजाब की तरह गंजाम में भी हर साल बड़ी मात्रा में धान के अवशेष निकलते हैं, जिनका बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा रहता है या खेतों में जला दिया जाता है। प्रवास के दौरान सीखे कौशल से लौटे हुए श्रमिक अपने गाँवों में मशरूम उत्पादन के उद्यम शुरू कर सकते हैं और कम उपयोग वाले कृषि उप-उत्पाद को आय के स्रोत में बदल सकते हैं। इससे आजीविका का एक सतत चक्र बनता है। प्रवास के दौरान पंजाब में उद्यमिता के अवसर मिलते हैं और सोहापुर लौटने पर स्थानीय उद्यम विकसित होते हैं। इस तरह पलायन अस्थायी गुजारे के साधन से ज्ञान हस्तांतरण, स्थानीय उद्यमिता और टिकाऊ ग्रामीण विकास का माध्यम बन सकता है।



दोनों क्षेत्रों की साझा कृषि स्थिति

कारक	पंजाब	सोहापुर
धान की खेती	अधिक	अधिक
पराली की उपलब्धता	जरूरत से अधिक	मध्यम
श्रमिकों की उपलब्धता	कमी	जरूरत से अधिक
पराली जलाने की प्रथा	बड़े पैमाने पर	स्थानीय स्तर पर

दोनों क्षेत्रों के सामने एक ही चुनौती है, कृषि अवशेषों का उचित प्रबंधन। हालांकि, श्रम की उपलब्धता अलग है। पंजाब में कृषि मौसम के दौरान श्रमिकों की कमी होती है, जबकि सोहापुर जैसे गाँवों में बड़ी संख्या में लोग रोजगार तलाशते हैं। पराली पर मशरूम की खेती इन दोनों परिस्थितियों को जोड़ने का व्यावहारिक तरीका है।

पंजाब में हर साल करीब 2 करोड़ टन धान की पराली पैदा होती है। यदि इसका एक प्रतिशत भी मशरूम उत्पादन में इस्तेमाल हो, तो इससे आजीविका के हजारों

अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे पराली दहन और वायु प्रदूषण घट सकते हैं तथा प्रवासियों के गाँवों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है। संसाधनों के इस्तेमाल में यह छोटा बदलाव पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को लाभ पहुँचा सकता है और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकता है।

भारत में पलायन पर पुनर्विचार

पलायन को अक्सर ग्रामीण संकट के संकेत के रूप में देखा जाता है। सोहापुर का अनुभव एक और संभावना दिखाता है। उपयुक्त कौशल और अवसर मिलने पर पलायन सीखने, तकनीक के हस्तांतरण और ग्रामीण नवाचार का माध्यम बन सकता है। काम की जगह पर अर्जित ज्ञान को श्रमिक जब अपने गाँव में लागू करते हैं, तो पलायन का लाभ मजदूरी से कहीं आगे जाता है। श्रमिकों की आवाजाही को स्थानीय संसाधनों के उत्पादक उपयोग से जोड़ने पर विकास की प्रक्रिया एक चक्र का रूप लेती है, जिससे टिकाऊ आजीविकाएँ बनती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ मजबूत होती हैं।

व्यापक सीख

ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए हर बार बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती। कई बार कारगर समाधान मौजूदा कृषि प्रणालियों में ही मौजूद होते हैं। उन्हें पहचानकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। अतिरिक्त श्रम को अतिरिक्त जैव संसाधनों से जोड़ने पर टिकाऊ आजीविका के नए अवसर उभरते हैं।

सोहापुर और पंजाब की कहानी दिखाती है कि कृषि अपशिष्ट आजीविका का स्रोत बन सकता है, पर्यावरण की चुनौती ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा दे सकती है और पलायन ग्रामीण बदलाव का माध्यम बन सकता है। समावेशी और टिकाऊ विकास की शुरुआत अक्सर संसाधनों के मूल्य और लोगों की क्षमता को नए तरीके से पहचानने से होती है।



एनआईआरडीपीआर में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए ग्रामीण शासन पर अभिमुखीकरण



प्रशिक्षण के वरिष्ठ प्रशासक और प्रतिभागी, डॉ. पी. केशव राव, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीजीएआरडी और सीआरटीसीएन, तथा डॉ. एन. एस. आर. प्रसाद और डॉ. ए. सिम्हाचलम, सहायक प्राध्यापक, सीजीएआरडी, एनआईआरडीपीआर, के साथ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के बी. एन. युगंधर ग्रामीण अध्ययन केंद्र के सहयोग से जिला परिषदों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए 'ग्रामीण शासन पर अभिमुखीकरण' विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। यह कार्यक्रम 20 से 24 जुलाई 2026 तक संस्थान के हैदराबाद परिसर में हुआ।

कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता तथा शासन, सेवा प्रदायगी, एकीकृत योजना, वित्तीय प्रबंधन और संस्थागत संचालन संबंधी क्षमताओं को मजबूत करना था। इसमें जमीनी अनुभवों, शासन की उभरती पद्धतियों और नीतिगत दृष्टिकोणों को शामिल किया गया। अनुभव से सीखने, प्रतिभागियों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और शासन के नए मॉडलों को समझने पर जोर दिया गया।

प्रभावी ग्रामीण शासन के लिए नेतृत्व को मजबूत करना

प्रशिक्षण में मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया, ताकि वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी नेतृत्व कर सकें। उन्हें शासन की रूपरेखा, संस्थागत भूमिकाएँ और प्रशासनिक दायित्व समझने तथा अंतिम छोर तक सेवाएँ पहुँचाने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के तरीके बताए गए।

कार्यक्रम का प्रमुख विषय जिला स्तर पर एकीकृत योजना और विकास योजनाओं का अभिसरण था। इसमें प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुँचाने की रणनीतियाँ शामिल थीं। समावेशी और लैंगिक रूप से संवेदनशील शासन, सामाजिक समानता, वित्तीय प्रबंधन, पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा बेहतर परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी और आँकड़ों पर आधारित निर्णयों पर भी जोर दिया गया।

अनुभव और आपसी संवाद से सीखना

प्रशिक्षण में सहभागितापूर्ण और व्यावहारिक पद्धति अपनाई गई। अनुभवी कार्यकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों के संवादात्मक व्याख्यानों और प्रस्तुतियों के साथ ऐसे प्रकरण अध्ययन शामिल किए गए, जिनमें

अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों की सर्वोत्तम पद्धतियाँ दिखाई गईं। पैनल चर्चाओं और सहकर्मी अधिगम सत्रों में प्रतिभागियों ने जमीनी अनुभव साझा किए, व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार किया और विभिन्न राज्यों के सफल शासन मॉडलों से सीखा।

तकनीकी सत्रों में पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई), स्थानीय सतत विकास लक्ष्य (एलएसडीजी), ग्रामीण सेवा प्रदायगी और पंचायतों के अभिकरण संबंधी कार्य, डीएवाई-एनआरएलएम और ग्रामीण आजीविका, पंचायत बजट और वित्तीय स्वायत्तता, जल जीवन मिशन, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), एकीकृत जिला योजना, समावेशी विकास और महिला-अनुकूल पंचायतें शामिल थीं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलागम विकास, पंचायती राज में सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन, पशुपालन, मात्स्यिकी और किसानों की आय, वन विभाग और पंचायतों के बीच अभिसरण तथा जिला परियोजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई।

अनुभवी कार्यकर्ता और विषय विशेषज्ञ

कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ प्रशासकों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों ने योगदान दिया। स्रोत व्यक्तियों में पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव श्री सुशील कुमार लोहानी, आईएएस, मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस. एम. विजयानंद, आईएएस (सेवानिवृत्त), सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति केंद्र के वरिष्ठ अध्येता श्री अमरजीत सिन्हा, आईएएस (सेवानिवृत्त), एनआईआरडीपीआर के पूर्व महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, आईएएस (सेवानिवृत्त), जल शक्ति मंत्रालय की पूर्व सचिव सुश्री विनी महाजन, आईएएस (सेवानिवृत्त), भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री रेड्डी सुब्रह्मण्यम, आईएएस (सेवानिवृत्त), और कर्नाटक सरकार की अपर मुख्य सचिव सुश्री उमा महादेवन, आईएएस, शामिल थीं।

विशेषज्ञ दल में एम्स, पंचायती राज मंत्रालय, नगर प्रशासन, भारतीय खाद्य एवं कृषि चैंबर, एनआईआरडीपीआर, सुशासन केंद्र, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया, पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय और एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ सहित विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी और विशेषज्ञ भी शामिल थे।

देश भर से भागीदारी

15 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश से 38 प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें सात आईएएस अधिकारी, जिला परिषदों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत राज्य सिविल सेवाओं के 29 अधिकारी और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के दो संकाय सदस्य थे।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव श्री सुशील कुमार लोहानी, आईएएस, ने उद्घाटन किया। समापन सत्र की अध्यक्षता लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के निदेशक श्री श्रीराम तरणीकांति, आईएएस, ने की। एनआईआरडीपीआर के सीजीएआरडी के सह प्राध्यापक एवं प्रमुख डॉ. पी. केशव राव ने दोनों अवसरों पर स्वागत भाषण दिया और सीजीएआरडी के सहायक प्राध्यापक डॉ. ए. सिम्हाचलम ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

अधिक सशक्त और उत्तरदायी पंचायती राज संस्थाओं की ओर

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने एक-दूसरे से सीखा, अच्छी पद्धतियाँ साझा कीं और ग्रामीण शासन की चुनौतियों पर मिलकर विचार किया। मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और विशेषज्ञों के संवाद से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, सेवाएँ बेहतर ढंग से पहुँचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को गति देने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा हुई।

श्रीलंका के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय शासन पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम



डॉ. अंजन कुमार भंज, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, श्री मनोज कुमार, कुलसचिव एवं निदेशक (प्रशासन) प्रभारी, तथा डॉ. प्रणब कुमार घोष, सहायक कुलसचिव (ई) प्रभारी, एनआईआरडीपीआर, के साथ प्रशिक्षण के प्रतिभागी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा प्रदायगी केंद्र (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी) ने 20 से 29 जुलाई 2026 तक संस्थान परिसर में श्रीलंका के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय शासन पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली और स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम पद्धतियों से परिचित कराकर श्रीलंका के निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्व और शासन क्षमता बढ़ाना था। प्रतिभागियों ने ज्ञान का आदान-प्रदान किया और सहभागितापूर्ण योजना, स्थानीय प्रशासन और समुदाय के नेतृत्व में विकास के नए तरीके समझे।

तकनीकी सत्रों में पंचायती राज का संवैधानिक ढाँचा, विकेंद्रीकृत योजना और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा प्रदायगी, डिजिटल शासन, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, सामाजिक समावेशन और सामुदायिक भागीदारी शामिल थे। स्रोत व्यक्तियों ने सफल मॉडल और जमीनी अनुभव साझा किए, जिनसे जवाबदेह, पारदर्शी और समावेशी शासन में स्थानीय निकायों की भूमिका स्पष्ट हुई।

संवाद, क्षेत्र भ्रमण और अनुभव साझा करने के सत्रों में प्रतिनिधियों ने जमीनी शासन की पद्धतियाँ देखीं और भारतीय विशेषज्ञों से विचारों का आदान-प्रदान किया। इससे आपसी सीख और स्थानीय शासन एवं क्षमता विकास में भारत और श्रीलंका का सहयोग मजबूत हुआ।

कार्यक्रम से प्रतिभागियों की संस्थागत और नेतृत्व क्षमताएँ बढ़ने तथा प्रभावी स्थानीय शासन और सतत विकास में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होने की अपेक्षा है।

टीजीआईएलपी के अंतर्गत सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों के लिए पशुधन प्रबंधन पर क्षमता निर्माण



टीजीआईएलपी के अंतर्गत पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण के प्रतिभागी, डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसीडीएम, एनआईआरडीपीआर, के साथ।

ग्रामीण आय और पोषण सुरक्षा बढ़ाने में पशुधन की भूमिका को देखते हुए एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने 13 से 16 जुलाई 2026 तक पशुधन प्रबंधन पर चार दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें तेलंगाना एसईआरपी के तेलंगाना समावेशी आजीविका कार्यक्रम (टीजीआईएलपी) के तहत आसिफाबाद और नागरकर्नूल के जनजातीय जिलों के 65 सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों (प्रशिक्षकों) ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाना था, ताकि वे जनजातीय परिवारों में पशुधन आधारित आजीविका और स्थायी आय के अवसर बढ़ा सकें। इसमें ऐसे प्रशिक्षक तैयार करने पर जोर दिया गया जो ग्रामीण समुदायों को वैज्ञानिक पशुधन प्रबंधन अपनाने और आजीविका संबंधी पहलों को मजबूत करने में मार्गदर्शन दे सकें।

तकनीकी सत्रों में घरेलू मुर्गीपालन और बकरीपालन, प्रजनन प्रबंधन, रोगों की रोकथाम और टीकाकरण, चारा विकास, जलवायु के अनुकूल पशुधन प्रबंधन तथा सूक्ष्म उद्यम विकास शामिल थे। पशुधन परिसंपत्तियों के सृजन और प्रबंधन के लिए आँकड़ों पर आधारित सूक्ष्म योजना बनाने की जानकारी भी दी गई, ताकि प्रतिभागी ग्रामीण परिवारों को जमीनी सहायता दे सकें।

संवादात्मक सत्रों और व्यावहारिक अभ्यास ने प्रतिभागियों को अपने गाँवों में सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के रूप में काम करने और बेहतर पशुधन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और आत्मविश्वास दिया। इस पहल से जनजातीय समुदायों की पोषण सुरक्षा, पारिवारिक आय और टिकाऊ आजीविका के अवसर बढ़ने की अपेक्षा है।

लखपति दीदी पहल के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण



प्रशिक्षण के प्रतिभागी, डॉ. सी. कतिरेशन, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, कौशल और रोजगार के लिए नवाचार एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी एवं एसजे), के साथ।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के कौशल और रोजगार के लिए नवाचार एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र ने लखपति दीदी पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों के लिए हस्तनिर्मित कागज से मूल्यवर्धित व्यावसायिक उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रशिक्षण 14 से 18 जुलाई 2026 तक संस्थान के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) में हुआ।

कार्यक्रम का उद्देश्य समूह सदस्यों और सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को बिक्री योग्य उत्पाद बनाने का व्यावहारिक कौशल देकर टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना था। इसमें उद्यमिता क्षमता बढ़ाने, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और नए उत्पादों से आय के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया।

प्रतिभागियों ने हस्तनिर्मित कागज के विभिन्न उत्पादों की रूपरेखा बनाने और उनका उत्पादन करने का अभ्यास किया। उन्हें उत्पादों की अंतिम सज्जा, गुणवत्ता सुधार, पैकिंग, ब्रांडिंग, लागत निर्धारण और विपणन का मार्गदर्शन भी मिला। सत्रों में लखपति दीदी पहल के अंतर्गत उद्यम विकास, मूल्यवर्धन और व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा हुई। इससे प्रतिभागियों को स्थानीय संसाधनों पर आधारित टिकाऊ सूक्ष्म उद्यमों की संभावनाएँ समझने में मदद मिली।

कौशल आधारित प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाते हुए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में उन्होंने विचार और अनुभव साझा किए तथा ग्रामीण उद्यमिता के नए तरीके सीखे।

इस पहल से स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों की क्षमताएँ बढ़ने, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन मिलने तथा पर्यावरण के अनुकूल उद्यमों से आजीविका के विकल्प और आय बढ़ने की अपेक्षा है।

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में व्यवसाय विविधीकरण और सर्वोत्तम पद्धतियों पर प्रशिक्षण



प्रशिक्षण के प्रतिभागी, डॉ. आर्यश्री देबप्रिया, सह प्राध्यापक, सीपीजीएस एवं डीई, और ए. परशुरामुडु, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, एनआईआरडीपीआर, के साथ।

एनआईआरडीपीआर के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र ने 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसीसीएस) और वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (एलएएमपीसीएस) के अध्यक्षों, निदेशक मंडल के सदस्यों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए व्यवसाय विविधीकरण और सर्वोत्तम पद्धतियों पर प्रशिक्षण आयोजित किया।

ओडिशा सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी नेतृत्व की प्रबंधकीय, शासी और संचालन क्षमताएँ मजबूत करना था। इसमें व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता और संस्थागत स्थिरता के लिए रणनीतियाँ बताई गईं।

प्रशिक्षण में कृषि व्यवसाय के उभरते अवसर, मूल्यवर्धन, सदस्य-केंद्रित सेवाएँ, वित्तीय प्रबंधन, सहकारी शासन और व्यवसाय योजना शामिल थे। स्रोत व्यक्तियों ने सफल मॉडल और सर्वोत्तम पद्धतियाँ बताईं, जिनसे सहकारी समितियाँ सेवाओं का विस्तार कर सकें, संचालन बेहतर बना सकें और बाजार की बदलती माँग के अनुरूप काम कर सकें।

संवादात्मक व्याख्यानों, प्रकरण अध्ययनों, समूह चर्चाओं और अनुभव साझा करने के सत्रों में प्रतिभागियों ने जमीनी अनुभव बाँटे और सहकारी उद्यमों को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीकों पर विचार किया। पीएसीसीएस और एलएएमपीसीएस की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नवाचार, रणनीतिक योजना और बेहतर सेवा प्रदायगी पर जोर दिया गया।

प्रशिक्षण से ओडिशा में अधिक मजबूत और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम सहकारी संस्थाएँ विकसित होने की अपेक्षा है, जो समावेशी ग्रामीण विकास और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा दे सकें।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के नवनियुक्त कार्मिकों का प्रवेश प्रशिक्षण



प्रवेश प्रशिक्षण के प्रतिभागी, डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम, और निदेशक, डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ, के. वेंकटेश्वर राव, मिशन प्रबंधक, तथा आर. रवि नायडू, मिशन कार्यपालक, एनआईआरडीपीआर, के साथ।

एनआईआरडीपीआर के डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने 14 से 22 जुलाई 2026 तक संस्थान परिसर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के नवनियुक्त कार्मिकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण आयोजित किया।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की संस्थागत रूपरेखा, क्रियान्वयन रणनीतियों और प्रमुख विषयगत पहलों की विस्तृत जानकारी दी गई। उद्देश्य था कि वे जमीनी स्तर पर कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू कर सकें और समुदायों को संगठित कर सकें।

प्रशिक्षण में संस्था निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन, सामाजिक समावेशन, क्षमता निर्माण और निगरानी जैसे मिशन के प्रमुख घटक शामिल थे। सत्रों में एसआरएलएम कार्मिकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, सहभागितापूर्ण योजना तथा स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के माध्यम से टिकाऊ ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की सर्वोत्तम पद्धतियों पर भी चर्चा हुई।

संवादात्मक व्याख्यानों, समूह अभ्यासों, प्रकरण अध्ययनों और अनुभव साझा करने के सत्रों से प्रतिभागियों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन और जमीनी चुनौतियों की व्यावहारिक समझ मिली। उन्हें एक-दूसरे से सीखने और ग्रामीण आजीविका मजबूत करने के लिए नए, समुदाय-केंद्रित तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रवेश प्रशिक्षण से नवनियुक्त कार्मिकों को डीएवाई-एनआरएलएम के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्यों में समावेशी एवं टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस आधार मिलने की अपेक्षा है।

समृद्ध विकासखंडों के निर्माण के लिए खंड विकास अधिकारियों का नेतृत्व प्रशिक्षण



प्रशिक्षण के प्रतिभागी, डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, सह प्राध्यापक एवं प्रभारी प्रमुख, सीईडीएफआई और सीजीजीपीए, डॉ. पी. केशव राव, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीजीएआरडी और सीआरटीसीएन, डॉ. नित्या वी. जी., सहायक प्राध्यापक, सीएएस, और डॉ. सुरजीत विक्रमन, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीएएस, एनआईआरडीपीआर, के साथ।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई) ने 6 से 11 जुलाई 2026 तक संस्थान परिसर में 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुँचाने के लिए खंड विकास अधिकारियों का नेतृत्व: समृद्ध विकासखंडों का निर्माण' विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) की नेतृत्व और प्रबंधकीय क्षमताएँ मजबूत करना था, ताकि विकासखंड स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो और सभी पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुँचे। प्रतिभागियों को योजनाओं का अभिसरण बढ़ाने, सेवा प्रदायगी सुधारने और समावेशी एवं टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए व्यावहारिक ज्ञान और नेतृत्व कौशल दिए गए।

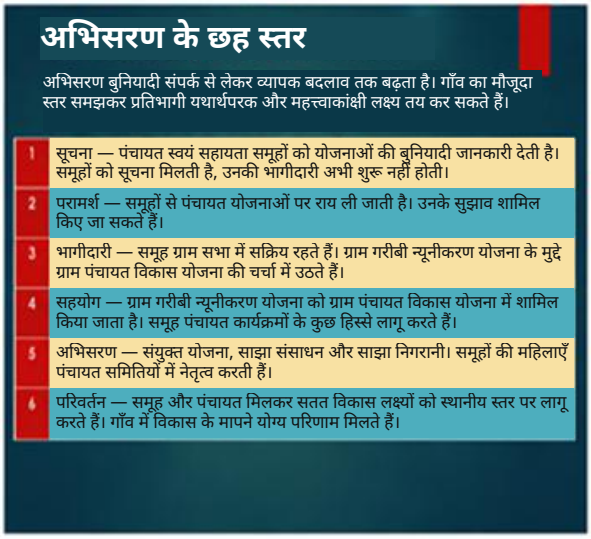
तकनीकी सत्रों में नेतृत्व और परिवर्तन प्रबंधन, प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अभिसरण, साक्ष्य आधारित खंड योजना, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल शासन, भू-स्थानिक अनुप्रयोग, उद्यमिता संवर्धन, वित्तीय समावेशन, कृषि विकास और संस्थागत समन्वय शामिल थे। स्रोत व्यक्तियों ने जमीनी योजना और क्रियान्वयन में मदद के लिए सफल अनुभव और सर्वोत्तम पद्धतियाँ भी साझा कीं।

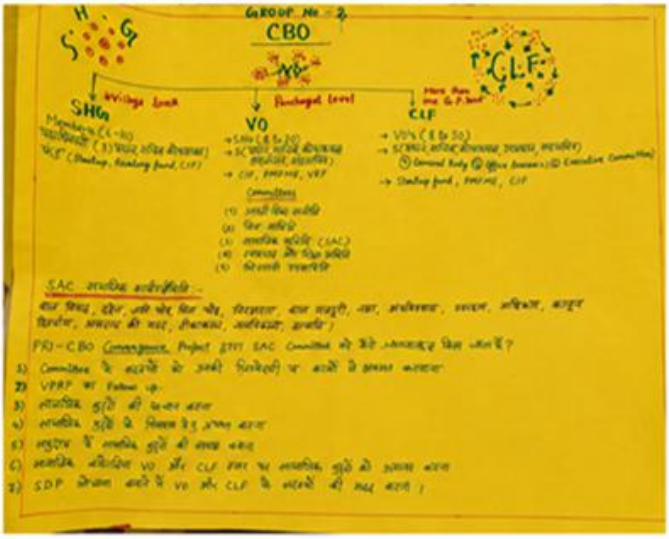
संवादात्मक व्याख्यानों, प्रकरण अध्ययनों, समूह चर्चाओं और अनुभव साझा करने के सत्रों में प्रतिभागियों ने विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने खंड स्तर पर शासन मजबूत करने और विकास के परिणामों में तेजी लाने के नए तरीकों पर चर्चा की।

कार्यक्रम का समन्वय डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, सहायक प्राध्यापक, सीएसआर, पीपीपी एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श (दिल्ली शाखा), और डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, सह प्राध्यापक एवं प्रभारी प्रमुख, सीईडीएफआई और सीजीजीपीए, एनआईआरडीपीआर, ने किया।

एचपीएसआईआरडी, शिमला में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के अभिसरण पर प्रशिक्षण







पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण भारत में जमीनी लोकतंत्र और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास के दो मजबूत स्तंभ हैं। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन और विकेंद्रीकृत योजना का संवैधानिक दायित्व मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उसके राज्य मिशनों के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों ने सामाजिक पूँजी, सामूहिक क्षमता और गाँवों में अंतिम छोर तक पहुँच विकसित की है। व्यवहार में दोनों संस्थाएँ अक्सर अलग-अलग काम करती हैं, जिससे उनका प्रभाव सीमित रहता है। इस अंतर को दूर करने के लिए एनआईआरडीपीआर के एनआरएलएम संसाधन केंद्र ने 'पीआरआई–एसएचजी अभिसरण को मजबूत करना' विषय पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण तैयार किया।

इसके तहत विभिन्न राज्यों में जिला और खंड स्तर के एसआरएलएम अधिकारियों के लिए प्रशिक्षणों की शृंखला आयोजित की गई।

इसी पहल के तहत एनआईआरडीपीआर के एनआरएलएम संसाधन केंद्र ने 2 से 4 जुलाई 2026 तक हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एचपीएसआईआरडी), शिमला में पीआरआई–एसएचजी अभिसरण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। एनआईआरडीपीआर के पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा प्रदायगी केंद्र की सहायक प्राध्यापक डॉ. एस. के. सत्यप्रभा कार्यक्रम निदेशक थीं।

प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के अभिसरण की समझ और व्यवहार को मजबूत करना था।



कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों की भूमिकाओं, संरचनाओं, दायित्वों और उनके अभिसरण की नीतिगत रूपरेखा पर साझा समझ विकसित की गई। प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत योजनाओं में सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) और ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजनाएँ (वीपीआरपी) तैयार करने, प्रस्तुत करने और एकीकृत करने का व्यावहारिक कौशल दिया गया।

उदाहरणों के माध्यम से ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी और स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों की आवाज मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने अपनी सीख के आधार पर गाँव-विशिष्ट कार्ययोजनाएँ बनाईं, जिनमें समय-सीमा और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट थीं।

प्रमुख सत्रों में पीआरआई–एसएचजी अभिसरण की प्रकृति और दायरा, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और स्थानीय विकास में परिवर्तन के वाहक के रूप में समूहों की भूमिका शामिल थी। ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम सभा में समूहों की भागीदारी और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजनाएँ शामिल करने पर चर्चा हुई। प्रकरणों से ग्राम पंचायत विकास में समूहों की भागीदारी बढ़ाने की सफल पद्धतियाँ दिखाई गईं। ग्राम सभा में गरीबी न्यूनीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतवार कार्ययोजनाएँ बनाने और प्रतिभागियों की कार्ययोजनाओं की प्रस्तुति पर भी सत्र हुए। ये सत्र कार्यक्रम निदेशक डॉ. एस. के. सत्यप्रभा, एचपीएसआईआरडी के मुख्य संकाय सदस्य श्री रविंदर कुमार (एसडब्ल्यू एवं सीडी), एचपीएसआरएलएम की एसपीएम-एसडी सुश्री निर्मला चौहान और एचपीएसआरएलएम के अधिकारियों ने लिए।

प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के आधार पर कार्यक्रम का समग्र मूल्यांकन 94 प्रतिशत रहा। इसमें प्रशिक्षण की रूपरेखा, वक्ता, ज्ञानवृद्धि, कौशल विकास और दृष्टिकोण में बदलाव शामिल थे। यह अंक विषय-वस्तु, पद्धति और प्रशिक्षण की समग्र प्रभावशीलता पर प्रतिभागियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है।

एनसीवीईटी ने एनआईआरडीपीआर को प्रमाणन निकाय (द्वैध) के रूप में मान्यता दी



मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर एनसीवीईटी के अधिकारियों के साथ डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई, और डॉ. संध्या गोपकुमारन, निदेशक, प्रशिक्षण एवं विकास, डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद को प्रमाणन निकाय (द्वैध) के रूप में मान्यता दी। इस संबंध में 21 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत संस्थान अपने परिसरों और पूर्णतः संस्थान द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों में अनुमोदित और अंगीकृत अर्हताओं का प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणन कर सकेगा तथा उन्हें अर्हताएँ प्रदान कर सकेगा।

समारोह की अध्यक्षता कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अपर सचिव और एनसीवीईटी के कार्यकारी सदस्य श्री निरंजन कुमार सुधांशु ने की। एनसीवीईटी के वरिष्ठ अधिकारियों में लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह भाटी, निदेशक (मान्यता), और लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ एस. बिष्ट, निदेशक (निगरानी), शामिल हुए। एनआईआरडीपीआर की ओर से स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र (सीपीजीएस एवं डीई) के प्राध्यापक एवं प्रमुख डॉ. ज्योतिस सत्यपालन और डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ की निदेशक (प्रशिक्षण एवं विकास) डॉ. संध्या गोपकुमारन ने भाग लिया।

पहले चरण में एनसीवीईटी ने संस्थान की विकसित दो अर्हताओं को अनुमोदित किया। इनमें औद्योगिक सामान्य कीट प्रबंधन तकनीशियन और पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन एवं जुटाने पर सूक्ष्म प्रमाणपत्र शामिल हैं। संस्थान ग्रामीण युवाओं के लिए उद्योग की जरूरतों से जुड़े कौशल, स्वयं सहायता समूहों के लिए उद्यमिता पाठ्यक्रम और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कार्मिकों के लिए पेशेवर कौशल विकास पर और अनुमोदित कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है।

इस मान्यता से क्षमता निर्माण और कौशल विकास के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में एनआईआरडीपीआर की भूमिका मजबूत हुई है। गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा से कुशल कार्यबल तैयार करने और टिकाऊ ग्रामीण विकास में उसका योगदान बढ़ेगा।

एनआईआरडीपीआर में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत डिजिटल वित्त 2.0 पर कार्यसमूह की चर्चा



डिजिटल वित्त पर कार्यसमूह की चर्चा के प्रतिभागियों का समूह चित्र।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने 22 से 24 जुलाई 2026 तक संस्थान परिसर में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डिजिटल वित्त 2.0 पर कार्यसमूह की चर्चा आयोजित की।

तीन दिवसीय परामर्श में वरिष्ठ अधिकारियों, वित्तीय समावेशन विशेषज्ञों, बैंकिंग पेशेवरों, प्रौद्योगिकी साझेदारों और मिशन के प्रतिनिधियों ने स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन के अगले चरण को मजबूत करने पर विचार किया। उन्होंने डिजिटल वित्त की पहलों की प्रगति की समीक्षा की, क्रियान्वयन की चुनौतियाँ पहचानीं और मिशन के तहत प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने की रणनीतियाँ बनाईं।

तकनीकी सत्रों में डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ, वित्तीय समावेशन, समूहों का बैंकों से जुड़ाव, डिजिटल ऋण, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल अभिलेख प्रबंधन, आँकड़ों पर आधारित निर्णय और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा प्रदायगी शामिल थीं। प्रतिभागियों ने औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक संस्थाओं की वित्तीय मजबूती बढ़ाने के लिए नए डिजिटल उपायों पर भी चर्चा की।

तकनीकी प्रस्तुतियों, विषयगत कार्यसत्रों और समूह अभ्यासों में प्रतिभागियों ने अनुभव साझा किए, विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों की समीक्षा की और मिशन में डिजिटल वित्त की पहलों को मजबूत करने के व्यावहारिक सुझाव दिए। टिकाऊ आजीविका और महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक संस्थाओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और उपयोग में आसान डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया।

परामर्श के अंत में नीति के बेहतर क्रियान्वयन, डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढाँचे में सुधार और डिजिटल वित्त 2.0 को तेजी से अपनाने के लिए सुझाव तय किए गए, ताकि देश भर में मिशन के कार्यों की दक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता बढ़ सके।

मालदीव गणराज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम









ऊपर: कार्यक्रम के प्रतिभागी। नीचे: डॉ. एस. ज्योतिस, प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई, डॉ. अंजन कुमार भंज, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, और डॉ. प्रणब कुमार घोष, सहायक कुलसचिव (ई) प्रभारी, एनआईआरडीपीआर, प्रतिभागियों से संवाद करते हुए।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने 21 जून से 6 जुलाई 2026 तक मालदीव गणराज्य की द्वीप परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 14 दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया। भारत और मालदीव के बीच जारी संस्थागत सहयोग के तहत संस्थान के पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा प्रदायगी केंद्र (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी) ने कार्यक्रम आयोजित किया।

यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में 2 अगस्त 2022 को एनआईआरडीपीआर और मालदीव के स्थानीय शासन प्राधिकरण (एलजीए) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत आयोजित हुआ। इसमें 2022 से 2026 के दौरान एटोल, नगर और द्वीप परिषदों तथा स्थानीय शासन प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण का प्रावधान है।

गाफू अलिफु, गाफू धालु और लामू एटोल की द्वीप परिषदों के 26 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल थे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने एक-दूसरे से सीखा, अनुभव साझा किए और विकेंद्रीकृत शासन, सहभागितापूर्ण योजना तथा टिकाऊ स्थानीय विकास के लिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाई।

कार्यक्रम में विकेंद्रीकृत शासन, नेतृत्व विकास, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, सहभागितापूर्ण योजना, मात्स्यिकी विकास, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, ठोस

अपशिष्ट प्रबंधन, बागवानी, नवीकरणीय ऊर्जा, परियोजना प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और महिला सशक्तीकरण जैसे विषय शामिल थे। एनआईआरडीपीआर, सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और साझेदार संगठनों के संकाय सदस्यों एवं विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्रों, संवाद और क्षेत्र भ्रमण में योगदान दिया।

आंध्र प्रदेश में जमीनी शासन का अवलोकन

आंध्र प्रदेश के चार दिवसीय अध्ययन भ्रमण में प्रतिभागियों ने भारत की विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली, सहभागितापूर्ण योजना और ग्रामीण विकास की पहलों को करीब से देखा। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक संस्थाओं और स्थानीय हितधारकों से संवाद किया और जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली समझी।

एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल की गुंटुपल्ली ग्राम पंचायत में प्रतिभागियों ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनते और लागू होते देखी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिकों से बातचीत की तथा ग्राम सभा, महिला सभा और बाल सभा की बैठकों में भाग लिया। इससे उन्हें सहभागितापूर्ण निर्णय, समावेशी शासन और सामुदायिक भागीदारी की समझ मिली। स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी अधिकारियों से बातचीत में महिला सशक्तीकरण, आजीविका और सामाजिक विकास में सामुदायिक संस्थाओं का योगदान सामने आया।

प्रतिनिधियों ने जूपुडी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, राइज केंद्र, एक सरकारी विद्यालय, तितली उद्यान, कोंडापल्ली खिलौना समूह और कोंडापल्ली किला देखा। उन्होंने एनटीआर जिले के कलेक्टर और जिला अधिकारियों से बातचीत की। भ्रमण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, विरासत के संरक्षण और जिला प्रशासन की पद्धतियाँ दिखाई गईं। प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इनकॉइस) और श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय के फल अनुसंधान केंद्र का भी दौरा किया। अन्य शैक्षिक और सांस्कृतिक दौरों को कार्यक्रम की चित्र दीर्घा में दर्ज किया गया।

कार्यक्रम से प्रतिभागियों की विकेंद्रीकृत शासन की समझ बढ़ी। उन्हें व्यावहारिक ज्ञान, नेतृत्व कौशल और नए तरीके सीखने को मिले, जिन्हें मालदीव में स्थानीय शासन और टिकाऊ विकास की पहलों को मजबूत करने के लिए अपनाया जा सकता है। कार्यक्रम निदेशक डॉ. अंजन कुमार भंज, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, एनआईआरडीपीआर, थे। प्रशिक्षण प्रबंधक श्री अरुणराज माली और परियोजना प्रशिक्षण प्रबंधक सुश्री ए. सिरिशा ने समन्वय किया।

संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) — सातवाँ बैच



सातवें बैच के प्रतिभागी, डॉ. सी. कतिरेशन, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीआईएटी एवं एसजे, के साथ।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय (एसओईपीआर) ने 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक संस्थान परिसर में संकाय विकास कार्यक्रम के सातवें बैच का आयोजन किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य ग्रामीण विकास संगठनों से जुड़े संकाय सदस्यों और पेशेवरों की शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और सत्र संचालन क्षमताओं को मजबूत करना था। विकेंद्रीकृत शासन, सहभागितापूर्ण योजना और ग्रामीण विकास में क्षमता निर्माण के नए तरीकों की समझ बढ़ाने पर जोर दिया गया।

सत्रों में पंचायती राज शासन, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण पद्धतियाँ, नेतृत्व विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल थे। स्रोत व्यक्तियों ने नीतिगत दृष्टिकोण, सर्वोत्तम पद्धतियाँ और जमीनी अनुभव साझा किए, ताकि प्रतिभागी प्रशिक्षण की प्रभावशीलता और शासन के परिणाम सुधार सकें।

कार्यक्रम में शिक्षार्थी-केंद्रित प्रशिक्षण, संवाद और सत्र संचालन के कौशल तथा अनुभव आधारित अधिगम पर भी जोर दिया गया। संवादात्मक चर्चाओं, प्रकरण अध्ययनों, समूह अभ्यासों और अनुभव साझा करने के सत्रों में प्रतिभागियों ने विचारों का आदान-प्रदान किया और अपनी पेशेवर दक्षताएँ मजबूत कीं।

कार्यक्रम से कुशल संकाय सदस्यों और प्रशिक्षकों का समूह तैयार होने की अपेक्षा है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला सकें और प्रभावी शासन तथा टिकाऊ ग्रामीण विकास की पहलों को सहयोग दे सकें।

ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा तैयारी के लिए परामर्श कार्यशाला



कार्यशाला के प्रतिभागी, डॉ. रवींद्र एस. गावली, प्राध्यापक एवं प्रमुख, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र (सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम), एनआईआरडीपीआर, के साथ।

एनआईआरडीपीआर के पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय ने 7 और 8 जुलाई 2026 को संस्थान परिसर में ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा तैयारी के लिए परामर्श कार्यशाला आयोजित की।

विशेषज्ञों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी और आपदाओं से उबरने की क्षमता मजबूत करने पर विचार किया। उद्देश्य ग्राम पंचायत की योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण शामिल करने और प्राकृतिक तथा मानवजनित आपदाओं के लिए स्थानीय तैयारी बेहतर बनाने की व्यावहारिक रणनीतियाँ विकसित करना था।

तकनीकी सत्रों में आपदा जोखिम आकलन, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, जलवायु जोखिमों का सामना करने की क्षमता, संस्थागत समन्वय, आपात प्रतिक्रिया तंत्र और आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने संबंधित विभागों, स्थानीय संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों के बीच अभिसरण पर जोर देते हुए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में आपदा तैयारी के उपाय शामिल करने पर विचार किया।

संवाद, समूह परामर्श और अनुभव साझा करने के सत्रों में प्रतिभागियों ने सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान किया और स्थानीय स्तर पर आपदाओं से उबरने की क्षमता बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके पहचाने। उन्होंने संस्थागत क्षमताएँ मजबूत करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और गाँवों की परिस्थितियों के अनुरूप आपदा तैयारी की रणनीतियाँ बनाने पर भी विचार किया।

पंचायती राज प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की सहभागितापूर्ण पद्धतियों पर राष्ट्रीय पुस्तिका की सत्यापन कार्यशाला



कार्यशाला के प्रतिभागी, डॉ. एस. ज्योतिस, प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई, के साथ।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय ने 16 और 17 जुलाई 2026 को संस्थान परिसर में पंचायती राज प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की सहभागितापूर्ण पद्धतियों पर राष्ट्रीय पुस्तिका की सत्यापन कार्यशाला आयोजित की।

संकाय सदस्यों, प्रशिक्षण पेशेवरों, विषय विशेषज्ञों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहभागितापूर्ण पद्धतियाँ मजबूत करने के लिए तैयार पुस्तिका के मसौदे की समीक्षा और सत्यापन किया। विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए, ताकि पुस्तिका व्यावहारिक, व्यापक और पंचायती राज संस्थाओं की बदलती जरूरतों के अनुकूल हो।

चर्चा में सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण पद्धतियाँ, वयस्क अधिगम के सिद्धांत, सत्र संचालन की तकनीकें, अनुभव आधारित अधिगम, सामुदायिक भागीदारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों व कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहभागिता के साधनों का प्रभावी इस्तेमाल शामिल था। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अधिक शिक्षार्थी-केंद्रित, समावेशी और स्थानीय शासन की चुनौतियों के प्रति उत्तरदायी बनाने पर भी विचार किया।

संवादात्मक चर्चाओं, तकनीकी प्रस्तुतियों और समूह परामर्श में प्रतिभागियों ने पुस्तिका के हर अध्याय की समीक्षा की। उन्होंने जमीनी अनुभवों और उभरती सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर सुधार सुझाए। पुस्तिका को अंतिम रूप देने से पहले सुधार के लिए कार्यशाला में सुझावों को समेकित किया गया।

सत्यापित पुस्तिका से देश भर के प्रशिक्षकों और क्षमता निर्माण संस्थाओं को मदद मिलने की अपेक्षा है। इससे पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिक प्रभावी, सहभागितापूर्ण और परिणामोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे।

गरीबीमुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की दो दिवसीय सत्यापन कार्यशाला



कार्यशाला के प्रतिभागी, डॉ. आर. चिन्नादुरई, सह प्राध्यापक, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, और तंद्रा मंडल, सहायक प्राध्यापक, एसओईपीआर, एनआईआरडीपीआर, के साथ।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय ने 15 और 16 जुलाई 2026 को संस्थान परिसर में 'विषय 1 — गरीबीमुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत' पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की दो दिवसीय सत्यापन कार्यशाला आयोजित की।

कार्यशाला में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की रूपरेखा के तहत तैयार मॉड्यूल की समीक्षा और सत्यापन किया गया। उद्देश्य गरीबीमुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना था। विषय विशेषज्ञों, संकाय सदस्यों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मॉड्यूल में सुधार के तकनीकी सुझाव दिए।

चर्चा में गरीबी उन्मूलन की रणनीतियाँ, टिकाऊ आजीविका का संवर्धन, ग्रामीण विकास योजनाओं का अभिसरण और आजीविका केंद्रित पहलों का क्रियान्वयन शामिल था। प्रतिभागियों ने सफल जमीनी पद्धतियों, सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और साक्ष्य आधारित तरीकों को मॉड्यूल में शामिल करने पर चर्चा की, ताकि यह जमीनी कार्मिकों के लिए व्यावहारिक और प्रासंगिक हो।

तकनीकी प्रस्तुतियों, विषयगत चर्चाओं, समूह अभ्यासों और अनुभव साझा करने के सत्रों में प्रतिभागियों ने मॉड्यूल की विषय-वस्तु, प्रशिक्षण पद्धति और अधिगम परिणामों की समीक्षा की। संरचना, स्थानीय संदर्भों से जुड़ाव, सहभागितापूर्ण अधिगम और राज्यों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में उपयोगिता बढ़ाने के सुझाव दिए गए।

मॉड्यूल को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला में सुझावों को समेकित किया गया। इससे गरीबी घटाने, आजीविका बेहतर बनाने और टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताएँ मजबूत करने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण संसाधन मिलने की अपेक्षा है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए फेलोशिप आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर कार्यशाला



कार्यशाला के प्रतिभागी, डॉ. अंजन कुमार भंज, सह प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी, और दीक्षा, सहायक प्राध्यापक, एसओईपीआर, एनआईआरडीपीआर, के साथ।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व और शासन क्षमता मजबूत करने के लिए फेलोशिप आधारित अधिगम मॉडल पर दो दिवसीय कार्यशाला हुई। एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के पंचायती राज उत्कृष्टता विद्यालय ने इसे 30 जून और 1 जुलाई 2026 को संस्थान परिसर में आयोजित किया।

संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों और कार्यक्रम समन्वयकों ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित फेलोशिप कार्यक्रम की रूपरेखा और क्रियान्वयन पर विचार किया। चर्चा में ऐसी व्यापक क्षमता निर्माण रूपरेखा विकसित करने पर जोर था, जिससे महिला नेतृत्व का कौशल और संस्थागत प्रभावशीलता बढ़े तथा स्थानीय शासन और विकास में उनकी सक्रिय भूमिका बने।

तकनीकी सत्रों में फेलोशिप की रूपरेखा, दक्षता आधारित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सतत सहयोग, क्षेत्रीय अनुभव, कार्य आधारित अधिगम और सर्वोत्तम पद्धतियों का दस्तावेजीकरण शामिल था। प्रतिभागियों ने लैंगिक संवेदनशील नेतृत्व, सहभागितापूर्ण शासन, डिजिटल अधिगम संसाधन, सहकर्मी अधिगम नेटवर्क और साक्ष्य आधारित योजना को फेलोशिप में शामिल करने पर भी विचार किया, ताकि इसे व्यवहार में लागू किया जा सके, इसका विस्तार हो और यह स्थानीय शासन की जरूरतें पूरी करे।

संवाद, समूह अभ्यास और अनुभव साझा करने के सत्रों में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जरूरी दक्षताएँ पहचानी गईं और फेलोशिप की संरचना, प्रशिक्षण पद्धति एवं निगरानी में सुधार सुझाए गए। नेतृत्व की जिम्मेदारियाँ प्रभावी ढंग से निभाने के लिए निरंतर मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग के महत्त्व पर जोर दिया गया।

विशेषज्ञों की चर्चा से फेलोशिप की रूपरेखा का सत्यापन और परिष्कार हुआ। सुझावों के आधार पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व मजबूत करने के लिए व्यावहारिक क्षमता निर्माण मॉडल विकसित किया जाएगा।

उद्यमों के लिए सहयोग तंत्र का निर्माण: विजयनगरम में डीएवाई-एनआरएलएम के क्षेत्रीय अध्ययन से मिली सीख

डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती, उप निदेशक, एनआरएलएम-आरसी
श्री आशुतोष धामी, युवा पेशेवर, एनआरएलएम-आरसी



ग्रामीण उद्यमिता को समझना — व्यक्तिगत उद्यमों से आगे

जहाँ कहानी शुरू होती है — सोहापुर, गंजाम

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण उद्यमों के सफल मॉडलों को समझने और दर्ज करने के लिए 14 और 15 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो दिवसीय क्षेत्रीय अध्ययन किया गया। एनआईआरडीपीआर के एनआरएलएम संसाधन केंद्र के उप निदेशक डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती ने केंद्र के युवा पेशेवर श्री आशुतोष धामी के साथ भ्रमण का नेतृत्व किया। इसमें विजयनगरम के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक श्री श्रीनिवास पाणि, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (आजीविका) श्री राजू कुमार एस. और सहायक परियोजना प्रबंधक श्री एल. सत्यनारायण ने सहयोग किया।

अध्ययन में सफल उद्यमों को दर्ज करने के साथ उस सहयोग तंत्र को समझने पर ध्यान दिया गया, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने, चलाने और बढ़ाने में सक्षम बनाता है। दल ने स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों, मंडल समाख्याओं, जिला समाख्या, सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों और विजयनगरम की महिला उद्यमियों से बातचीत की। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, विनिर्माण, हस्तशिल्प, कढ़ाई, काष्ठ नक्काशी और सेवाओं के उद्यमों के भ्रमण से मिशन की आजीविका पहलों की व्यापक समझ मिली।

टिकाऊ ग्रामीण आजीविका का आधार — उद्यमों के लिए सहयोग तंत्र

भ्रमण में प्रत्येक सफल उद्यम के पीछे एक मजबूत संस्थागत तंत्र दिखा। इसमें स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, मंडल समाख्याएँ, सामुदायिक स्रोत व्यक्ति, बैंक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्मिक और सरकारी सहायता तंत्र शामिल थे।

उद्यमियों की यात्रा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक लामबंदी से शुरू हुई। आगे उन्हें उद्यम चुनने, कौशल विकास, वित्त, सतत सहयोग, लेखा-जोखा, बाजार की जानकारी और व्यावसायिक मार्गदर्शन मिला। इस एकीकृत पद्धति से उद्यमियों को ऋण के साथ उद्यम के हर चरण में सहयोग मिलता है।

भ्रमण से स्पष्ट हुआ कि मिशन की सामुदायिक संस्थाएँ वित्तीय मंचों से आगे बढ़कर उद्यम विकास की संस्थाएँ बन गई हैं। इनके सहयोग से ऋण लेने वाली महिलाएँ उद्यमी, नियोक्ता और स्थानीय व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता बन रही हैं।



स्थानीय उत्पादन और बिक्री से अर्थव्यवस्था मजबूत करना

विजयनगरम के उद्यमों ने टिकाऊ ग्रामीण विकास का एक सिद्धांत दिखाया। स्थानीय बाजारों की जरूरतें स्थानीय उत्पादन से पूरी की जा सकती हैं।

अधिकांश उद्यम आसपास से कच्चा माल लेते हैं, स्थानीय लोगों को काम देते हैं, समुदाय में उत्पाद बनाते हैं और पड़ोसी बाजारों में बेचते हैं। इससे आय स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमती रहती है। एक उद्यम की कमाई उसी क्षेत्र में कई अन्य आर्थिक गतिविधियों को सहारा देती है।

विकेंद्रीकृत उत्पादन से परिवहन लागत कम होती है और ग्रामीण आय का अधिक हिस्सा स्थानीय क्षेत्र में रहता है। इसके गुणक प्रभाव से गाँवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उद्यमों ने स्थानीय माँग पर आधारित व्यावसायिक मॉडल बनाकर दूर के शहरी बाजारों पर अपनी निर्भरता सीमित की है।

स्थानीय माँग से ग्रामीण विनिर्माण को बढ़ावा

विजयनगरम के उद्यमियों ने अपने क्षेत्र की आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर व्यावसायिक अवसर पहचाने हैं।

कपूर निर्माण इकाई इसका उदाहरण है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और घरों में इस्तेमाल होने वाली कपूर की गोलियाँ बनाती है। रामतीर्थम के ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर और जिले के अन्य मंदिरों से उद्यम को स्थिर स्थानीय बाजार मिलता है। उद्यमी ने पारंपरिक उत्पाद को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की सहायता से बेहतर पैकिंग और मूल्यवर्धन के जरिए विस्तार की योजना है।

इसी तरह शीत-दबाव विधि से तेल निकालने की इकाई, टी टाइम इकाई, मग्गम कढ़ाई, काष्ठ नक्काशी, कढ़ाई और बेकरी के उद्यमों ने उत्पादन को क्षेत्रीय माँग से जोड़ा और अपने समुदायों में रोजगार पैदा किया।

वित्तीय समावेशन — उद्यम विस्तार का आधार

क्षेत्रीय अध्ययन में सामने आया कि





डीएवाई-एनआरएलएम के तहत उद्यमों की सफलता कई ऋण स्रोतों से जुड़ी है। व्यवसाय बढ़ाने के लिए उद्यमियों ने धीरे-धीरे समूह के आंतरिक ऋण, सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ), स्त्रीनिधि, स्वयं सहायता समूह–बैंक संपर्क कार्यक्रम, वाणिज्यिक बैंक ऋण, मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सरकारी ऋण योजनाओं का उपयोग किया। वित्त के ये विकल्प उद्यमियों को सूक्ष्म व्यवसाय से व्यावसायिक रूप से टिकाऊ उद्यम तक बढ़ने में मदद करते हैं। उद्यम विकास के अलग-अलग चरणों में ये साधन एक-दूसरे के पूरक हैं।

अधिक निवेश से रोजगार के अधिक अवसर

भ्रमण में अधिक संस्थागत निवेश और अधिक रोजगार के बीच स्पष्ट संबंध दिखा। अधिक औपचारिक ऋण पाने वाले उद्यम बेहतर मशीनें खरीद सके, उत्पादन क्षमता बढ़ा सके, अलग-अलग उत्पाद बना सके और बड़े बाजारों तक पहुँच सके। इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए अधिक रोजगार पैदा हुआ।

उदाहरण के लिए, मिठाई और बेकरी उद्यम छोटे घरेलू व्यवसाय से क्षेत्रीय उद्यम बन गया है। यह 15 ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को रोजगार देता है और विजयनगरम, विशाखापत्तनम तथा श्रीकाकुलम जिलों में उत्पाद बेचता है। उद्यमी ने इस वृद्धि का श्रेय स्वयं सहायता समूह–बैंक संपर्क, स्त्रीनिधि और डीएवाई-एनआरएलएम के समय पर मिले संस्थागत सहयोग को दिया।

इन अनुभवों से वृद्धि की संभावना वाले उद्यमों को पर्याप्त ऋण देने का महत्त्व स्पष्ट होता है। बड़े निवेश से उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार बढ़ते हैं।

ग्रामीण उद्यम विकास में सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका

वित्तीय सहायता के साथ उद्यमों की स्थिरता में सामुदायिक संस्थाओं की अहम भूमिका दिखी। उद्यमियों ने बताया कि सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों, ग्राम संगठनों, मंडल समाख्याओं, खंड मिशन प्रबंधन इकाइयों और जिला मिशन प्रबंधन इकाइयों ने उद्यम की पहचान, व्यवसाय योजना, लेखा-जोखा, ब्रांडिंग, बाजार से संपर्क, प्रदर्शनियों, क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन में सहयोग दिया। इस व्यवस्था से व्यावसायिक जोखिम घटे हैं और महिला उद्यमी बढ़ते व्यवसायों का आत्मविश्वास से प्रबंधन कर रही हैं।



मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में योगदान

क्षेत्रीय अध्ययन में देखे गए उद्यम आजीविका देने के साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना में योगदान करते हैं।

बेकरी उत्पाद, शीत-दबाव से निकाले गए खाद्य तेल, कपूर की गोलियाँ, कढ़ाई वाले उत्पाद और हस्तनिर्मित लकड़ी की वस्तुएँ दिखाती हैं कि विकेंद्रीकृत ग्रामीण विनिर्माण घरेलू उत्पादन बढ़ा सकता है। इससे पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण होता है और रोजगार बनता है।

प्रमुख सीख और आगे की दिशा

विजयनगरम के अध्ययन ने फिर दिखाया कि टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए कई उपायों को साथ काम करना पड़ता है। सामुदायिक संस्थाएँ, वित्तीय समावेशन, उद्यम संवर्धन, बाजार तक पहुँच, क्षमता निर्माण और निरंतर मार्गदर्शन इस व्यवस्था के अंग हैं।

भ्रमण में दर्ज अनुभव दिखाते हैं कि मजबूत सामुदायिक संस्थाओं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्त्रीनिधि, सामुदायिक निवेश निधि, स्वयं सहायता समूह–बैंक संपर्क और वाणिज्यिक बैंकिंग जैसे वित्तीय साधनों की मदद से ग्रामीण महिलाएँ सफल उद्यम बना सकती हैं। ये उद्यम घरेलू आय बढ़ाते हैं, रोजगार देते हैं, स्थानीय मूल्य शृंखलाएँ मजबूत करते हैं और ग्रामीण आर्थिक वृद्धि को गति देते हैं।

विजयनगरम का उद्यम सहयोग तंत्र डीएवाई-एनआरएलएम के तहत अन्य राज्यों में अपनाने योग्य मॉडल है। एकीकृत सहयोग से महिला उद्यमी स्थानीय आर्थिक विकास का नेतृत्व कर सकती हैं और समावेशी वृद्धि, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा टिकाऊ ग्रामीण समृद्धि में योगदान दे सकती हैं।

भ्रमण में दर्ज प्रकरण अध्ययनों को सामुदायिक स्रोत व्यक्ति–उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी) प्रमाणन कार्यपुस्तिका में शामिल किया जाएगा।

ग्रामीण कौशल और उद्यमिता का नया मॉडल विकसित करने के लिए एनआईआरडीपीआर और विश्व कौशल केंद्र का सहयोग

श्री रवि नायडू, मिशन कार्यपालक, आईबीसीबी
डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती, उप निदेशक, एनआरएलएम-आरसी



एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने भुवनेश्वर के विश्व कौशल केंद्र (डब्ल्यूएससी) के साथ सहयोग शुरू किया है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विश्वस्तरीय कौशल विकास को टिकाऊ ग्रामीण आजीविका से जोड़ने की पहल है।

इस सहयोग में ग्रामीण विकास, संस्थागत क्षमता निर्माण और आजीविका संवर्धन में एनआईआरडीपीआर का अनुभव और विश्व कौशल केंद्र की अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली कौशल विकास व्यवस्था साथ आएँगे। दोनों संस्थाएँ ऐसे मॉडल बनाना चाहती हैं जिनका विस्तार किया जा सके और जो ग्रामीण समुदायों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, ग्रामीण युवाओं और सामुदायिक संस्थाओं को बाजार की माँग के अनुरूप कौशल, उद्यमिता की क्षमता और टिकाऊ आजीविका के अवसर दें।

व्यावहारिक अधिगम — विश्व कौशल केंद्र में बाह्य परिसर क्षमता निर्माण

दीर्घकालिक योजना को औपचारिक रूप देने से पहले त्रिपुरा के लेखा कर्मियों के लिए बाह्य परिसर क्षमता निर्माण की पहल की गई। लेखा कर्मियों के पहले बैच ने 20 से 24 जुलाई 2026 तक विश्व कौशल केंद्र के अभिमुखीकरण एवं अवलोकन कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों ने अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली प्रशिक्षण सुविधाएँ, आधुनिक कौशल व्यवस्था और अधिगम की नई पद्धतियाँ करीब से देखीं।

उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद 27 से 31 जुलाई 2026 तक दूसरा बैच आयोजित हुआ। इससे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण अनुभव आधारित अधिगम देने की दोनों संस्थाओं की प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। कार्यक्रम ने दिखाया कि उन्नत कौशल व्यवस्थाओं का अवलोकन संस्थागत क्षमताएँ बढ़ा सकता है और राज्य मिशनों को सर्वोत्तम पद्धतियाँ अपनाने की प्रेरणा दे सकता है।

प्रतिभागियों ने विश्व कौशल केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे लोगों से, जिनमें अन्य आजीविका पहलों के प्रशिक्षु भी थे, बातचीत की। उन्होंने एक-दूसरे से सीखा और अनुभव बाँटे। इससे उद्योग की जरूरतों पर आधारित कौशल विकास की उनकी समझ बढ़ी और तकनीकी दक्षता को टिकाऊ आजीविका से जोड़ने का महत्त्व स्पष्ट हुआ।





ग्रामीण बदलाव के लिए साझा दृष्टि

विश्व कौशल केंद्र में हुई संस्थागत चर्चा में साझा दृष्टि सामने आई। दोनों संस्थाएँ ग्रामीण परिवारों के लिए ऐसे आजीविका अवसर बनाना चाहती हैं जो टिकाऊ हों, जिनका विस्तार हो सके और जिनका आर्थिक लाभ लंबे समय तक मिले।

दोनों संस्थाओं ने माना कि सफल ग्रामीण उद्यमों के लिए कौशल विकास के साथ तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, मार्गदर्शन, उद्यम संवर्धन, वित्तीय साक्षरता, संस्थागत वित्त, ब्रांडिंग, डिजिटल विपणन और बाजार से संपर्क जरूरी हैं। यह समग्र तरीका डीएवाई-एनआरएलएम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जहाँ उद्यम स्थापित करना और उसे टिकाऊ बनाना समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

दोनों संस्थाओं की क्षमताओं का उपयोग

विश्व कौशल केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानकों का बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराता है, जहाँ प्रशिक्षु उद्योग के स्तर की सुविधाओं में सीखते हैं। एनआईआरडीपीआर के पास ग्रामीण विकास, सामुदायिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नीतिगत सहयोग का दशकों का अनुभव है।

प्रस्तावित सहयोग इन पूरक क्षमताओं को एक साथ इस्तेमाल करेगा।

साझेदारी में तकनीकी उत्कृष्टता को समुदाय आधारित आजीविका से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण समुदाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक कौशल सीख सकेंगे और स्थानीय आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

प्रशिक्षण से ग्रामीण उद्यम तक

दोनों संस्थाओं की साझा समझ बनी कि प्रशिक्षण से अंततः उद्यमिता और रोजगार पैदा होने चाहिए। उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के कार्मिकों, राज्य स्रोत व्यक्तियों, सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त पहलें प्रस्तावित कीं।

प्रस्तावित साझेदारी में प्रशिक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, व्यवसाय योजना और उद्यम प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता तथा संस्थागत ऋण से जुड़ाव शामिल हैं। डिजिटल व्यवसाय संवर्धन, ई-वाणिज्य, उद्यम संवर्धन और मार्गदर्शन के साथ ब्रांडिंग, विपणन और मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण की भी परिकल्पना है। इन पहलों से ग्रामीण उद्यमियों को कौशल सीखने से लेकर व्यवहार्य उद्यम स्थापित करने और बाजार तक पहुँचने के हर चरण में सहायता मिलेगी।

अवधारणा की व्यवहार्यता परखने वाले मॉडल

साक्ष्य के आधार पर विस्तार करने के महत्त्व को देखते हुए,

दोनों संस्थाएँ पहले चुनिंदा क्षेत्रों में छोटे मॉडल विकसित कर अवधारणा की व्यवहार्यता परखने पर सहमत हुईं।

इन प्रायोगिक पहलों में उत्पादन, गुणवत्ता आश्वासन, ब्रांडिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन और बाजार से संपर्क सहित संपूर्ण उद्यम व्यवस्था दिखाई जाएगी। सफल मॉडलों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाएगा, ताकि देश भर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इन्हें डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत अपना सकें।

मौजूदा सफल उदाहरणों से सीख

विश्व कौशल केंद्र में एनआईआरडीपीआर के दल ने सेवा द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण लेते देखा। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मिशन के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों जैसी थी। इससे व्यावहारिक तौर पर दिखा कि ऐसे मॉडल देश भर की ग्रामीण महिला उद्यमियों को लाभ पहुँचा सकते हैं।

इससे भरोसा बढ़ा कि संस्थागत सहयोग, मार्गदर्शन और समुदाय आधारित क्रियान्वयन के साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले कौशल प्रशिक्षण को ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों की जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सकता है।

भावी सहयोग की कार्ययोजना

दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी के लिए चर्चा में कई रणनीतिक निर्णय लिए गए। इनमें संयुक्त प्रायोगिक पहलों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र चुनना, अवधारणा पत्र बनाने के लिए संयुक्त कार्यसमूह गठित करना, एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करना, संयुक्त प्रमाणन की संभावनाएँ तलाशना, सफल प्रयोगों का दस्तावेजीकरण और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों द्वारा इन्हें अपनाने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा बनाना शामिल है।

आगे की दिशा

एनआईआरडीपीआर और विश्व कौशल केंद्र की साझेदारी तकनीकी उत्कृष्टता को उद्यमिता, सामुदायिक संस्थाओं और आजीविका संवर्धन से जोड़कर ग्रामीण कौशल विकास को नई दिशा देने की साझा प्रतिबद्धता है।

त्रिपुरा के बाह्य परिसर कार्यक्रम ने दिखाया कि अनुभव आधारित अधिगम से संस्थागत क्षमताएँ बढ़ाई जा सकती हैं। आगे की पहलों से कुशल ग्रामीण उद्यमी तैयार करने, टिकाऊ उद्यमों को बढ़ावा देने और देश भर में समावेशी ग्रामीण वृद्धि में योगदान की अपेक्षा है।

अंतरराष्ट्रीय कौशल मानकों को जमीनी आजीविका संस्थाओं से जोड़कर दोनों संस्थाएँ ग्रामीण क्षमता निर्माण का नया मॉडल विकसित कर रही हैं। इसमें प्रशिक्षण के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम उद्यम, सशक्त समुदाय और टिकाऊ आर्थिक अवसर विकसित करने पर जोर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज का प्रमुख राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के उत्कृष्टता केंद्रों में शामिल संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के जरिए ग्रामीण विकास कार्मिकों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंक कर्मियों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता बढ़ाता है। इसका मुख्य परिसर तेलंगाना के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में है। संस्थान ने 2008 में अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। इसके अलावा गुवाहाटी, असम में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली में एक शाखा और वैशाली, बिहार में करियर मार्गदर्शन केंद्र हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

श्री टी. के. अनिल कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर
सहायक संपादक: कृष्ण राज के. एस. और अपर्णा वी. आर.
आवरण पृष्ठ की रूपरेखा: वी. जी. भट
प्रकाशक: ज्योतिस सत्यपालन, प्राध्यापक एवं प्रमुख, सीपीजीएस एवं डीई, एनआईआरडीपीआर की ओर से, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030

राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030
फोन: (040) 24008473, फैक्स: (040) 24008473
ई-मेल: CDC.NIRD@GOV.IN
वेबसाइट: WWW.NIRDPR.ORG.IN